न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या / 195 / 2025

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. नारायण पिता सोला जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. संतोष पुत्री उदयराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. टम्मुबाई पत्नी उदयराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पिता वरदा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. बालु पिता वरदा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. उदा पिता खुमाण जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चन्द्रा पिता खुमाण जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नानूराम पिता खुमाण जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. कस्तुर पिता खुमाण जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. मोहन पिता खुमाण जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. नारायण पिता तुलसीराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. सुरजमल पिता तुलसीराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. प्रभुलाल पिता तुलसीराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. मेवालाल पिता तुलसीराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. जीतमल पिता तुलसीराम जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
13. नाथूलाल पिता भैरूलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
14. गोवर्धनलाल पिता भैरूलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी तुर्कियाकलां तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
15. मदनलाल पिता सोला जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच के बजाय–
    15 / 1– पवन खटीक पिता बंशीलाल खटीक आयु वयस्क निवासी कपासन हाल मुकाम लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
16. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

—— प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 30.04.2026

—:निर्णयः—

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत् निम्न निवेदन के साथ पेश किया गया कि मौजा लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज हाल आ0सं0 498, 499, 515, 516, 517 कुल किता 05 कुल रकबा 1.32 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजीयात वादीगण की हक खातेदारी की होकर कब्जे काश्त में है वादीगण ही उक्त आराजीयात का लगान जमा करा रहे है उक्त आराजीयात भागीरथ, मियाराम पिता पेमा खटीक निवासी तुर्कियाकलां के नाम दर्ज है।

यह कि उपरोक्त आराजीयात के भू–प्रबन्ध पूर्व के साबिक आराजीयात नम्बर 111–117–441–456–457 कुल किता 5 कुल रकबा 6 बिघा 2 बिस्वा थे।

यह कि उक्त आराजीयात दर्ज साबिक रेवेन्यु रेकार्ड को सोला पिता रामा खटीक निवासी लांगच ने भागीरथ, मियाराम पिता पेमा खटीक निवासी तुर्कियाकलां से संवंत् 2000 में बिल एवज 230/– रूपये में खरीदकर मोल चुका कब्जे प्राप्त की खरीद की गई उक्त आराजीयात के बह पत्र अनुसार पडोस पूर्व धोबी मुलचन्द की आराजी, पश्चिम व उत्तर में भैरा पिता किशना खटीक की आराजी, दक्षिण–देवकिशन पिता गणेश चमार की आराजीयात बीच पडौस रकबा व इसी के साथ पूर्व में चमार, रतन पिता छोगा, पश्चिम में भेरू पिता किशना खटीक की आराजी व रास्ता, उत्तर में माना पिता भैरू गाडरी लांगच वाला की आराजी, दक्षिण में मूलचन्द धोबी की आराजीयात के बीच के हक पत्र में उल्लेखित हैं उक्त आराजीयात के पडोसान मृतक से तब्दील होकर उनके वारिसान के आज भी कायम है।

यह कि उक्त आराजीयात सोला पिता रामा ने खरीदी की सोला को फौत हुए 25 साल करीब हो गये। सोला के वारीस पुत्र उदयराम, नारायण, व मदनलाल हुए जिनमें उदयराम 15 साल पहले फौत हो गये उदयराम के वारीस पुत्री सन्तोष पत्नी टमू है इस प्रकार वादीगण नारायण लाल सन्तोष व टमू है मदनलाल प्रतिवादी संख्या 15 भी सोला के पुत्र होकर वारीस है। बेववाल भागीरथ व माला उर्फ मियाराम फौत हो गये जिसके परिवार में पुत्र तुलसीराम, भैरूलाल, उदा, वरदा, ,खुमाण हुए जो फौत हो गये जिनके वारीस प्रतिवादीगण अलावा 15 तमाम है जो जायज वारीस है व प्रतिवादीगण 16 आवश्यक पक्षकार भूमिधारी तहसीलदार कपासन है।

यह कि वाद कॉलम एक उल्लेखित आराजीयात वादीगण के पिता सोला ने सम्वत् 2000 पौष सुदी 7 को खरीद की और दस्तावेज का पंजीयन कमी स्टाम्प प्रकरण संख्या 6/91 निर्णय दिनांक 03–07–91 में अतिरिक्त मुद्रांक में राशि जमा कर तारीख 16–07–1991 को बहनामा पंजीयन पृष्ठांकन किया।

यह कि खरीददार वादीगण के पिता सोला जी के भोलेस्वरूप के काश्तकार थे आराजीयात अपने नाम पर कराने की कार्यवाही से अनभिज्ञ थे खरीद की गई आराजीयात पर सोला जी ने व वादीगण ने समय समय पर लागत लगा काबील काश्त बनाया और उसी समय से काश्त फसल जोते बोते आ रहे हैं, परन्तु कानुन की जानकारी न होने से व भोले स्वभाव के होने से सोला जी उक्त आराजीयात अपने नाम नही करा सके उन्हे की वफात के बाद मुताबीक खरीदनामा व कब्जे के अनुसार वादीगण ने उक्त आराजीयात अपने नाम दर्ज कराने की कार्यवाही विधि जिला कलक्टर राजस्व शिविरों में की व कार्यवाही मौका पर्चा आदिमी तैयार हुये व प्रतिवादीगण की भी सहमति है परन्तु हल्के का भू–प्रबन्ध होने से आराजीयात के नम्बरान तब्दील हो गये। दस्तावेजी साक्ष्य से कार्यवाही अधुरी रह गई फिर सुझाव हल्के पटवारी ने दिया कि उक्त आराजीयात की खातेदारी जरिये वाद से सम्भव है। जिससे समस्त नकले ली और वादीगण अदालत आपसे प्रार्थना करते है कि वाद कॉलम संख्या एक उल्लेखित आराजीयात जैरबहस वाद कॉलम संख्या एक में खातेदार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

र है सम्वत् 2000 खरीद दिनांक वादीगण के पिता मृत्तक सोला व उसके बाद आज दिन वर्तमान में खरीद सुदा उक्त आराजीयात पर बरोक टोक काश्त वादीगण करते आ रहे है तिवादीगण बेचवाल पक्षकार का कब्जा काश्त नही है।

यह कि वर्तमान में उक्त आराजयात बेचवाल मृत्तक भागीरथ मियाराम उर्फ माला के नाम दर्ज है जिसकी वारीस कार्यवाही इन्तकाल प्रतिवादी ने नही की हक कब्जा काश्त खातेदारी वक्त खरीद से वादीगण है हसलिए रेवेन्यु रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखाया जाना जरूरी है। इससे प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नही है फिर भी रेवेन्यु रेकार्ड इन्तकाल रद्दोबदल वारीसान मुन्तकील बेदखली पर वादीगण को बेशुमार नुकसान होगा जिसकी पूर्ति मूल्यों में होगी इसलिये स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण जरूरी है।

यह कि आराजीयात जैरबहस बह अनुसार वादीगण के खातेदारी में दर्ज करानें हेतु प्रतिवादीगण को दिनांक 01.04.2015 को कहा तो उन्होने रजाबन्दी की परन्तु कानुनी राय लेने से खुलासा हुआ कि घोषणा हेतु वाद कार्यवाही कराना जरूरी है। पहले दी गई अर्जियों से भी यही बात खुलासा हुई जिससे बिनाय दावा पैदा होकर उक्त दिनांक से निरन्तर बनी हुई है।

अन्त मे वादीगण ने प्रार्थना की कि–

यह कि खातेदारी अधिकार की घोषणा की डिक्री वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15 के हक में खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की जारी फरमाई जावें कि आराजीयात वर्णित वाद कॉलम संख्या एक में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 15 खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार रेवेन्यु रेकार्ड में अमल दरामद सादर फरमावें।

यह कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण की डिक्री वाद कॉलम संख्या 7 अनुसार सादर फरमावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 से 15 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 05.08.2022 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। साक्ष्यवादी में नारायण, माना, शंकर का शपथ पत्र प्रस्तुत जो शा0फा0 है। दस्तावेज प्रदर्श अंकन कराये जो प्रदर्श–1 से लगायत प्रदर्श–8 है। प्रतिवादी संख्या 15/1 की ओर से अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द चाष्टा का अधिकार पत्र मय इकबालिया जवाब प्रस्तुत जो शा0फा0 है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। हमने सम्पूर्ण पत्रावली, दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। प्रदर्श–3 मिलान शीट के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिक आराजी संख्या 111, 117, 441, 456, 457 से हाल आराजी संख्या 498, 499, 515, 516, 517 कुल किता 05 कुल रकबा 1.32 हैक्ट0 बने है। प्रदर्श–4ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि बेचवाल भागीरथ, मियाराम पिता पेमा खटीक से क्रेता सोला पिता रामा खटीक ने क्रय की। उक्त दस्तावेज का पंजीयन श्रीमान् अति0 कलक्टर (मुद्रांक) चित्तौड़गढ़ द्वारा किया गया। प्रदर्श–8 के अवलोकन से संवंत् 2000 से ही सोला पिता रामा तथा सोला के फौत होने के पश्चात उसके वारिसानों का कब्जा है। मौका पर्चा दिनांक 13/04.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में भी सोला के वारिसान का कब्जा है, अतः प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में हाल जमाबन्दी दर्ज हाल आ0सं0 498, 499, 515, 516, 517 कुल किता 05 कुल रकबा 1.32 हैक्ट0 में दर्ज नारायण पिता सोला जाति खटीक हिस्सा 1/3 सा0 देह खातेदार, सन्तोष पुत्री उदयराम, टम्मुबाई पत्नी उदयराम जाति खटीक हिस्सा 1/3 सा0 देह खातेदार, पवन पिता बंशीलाल जाति खटीक हिस्सा 1/3 साकिन कपासन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन